सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 02/14

राधाकृष्ण पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी चक 1 केआरडब्ल्यू धिकतानिया तहसील सादूलशहर

बनाम

1. सरकार

प्रकरण अन्तर्गत धारा 13–ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री अशोक तुली, अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से।

आदेश **दिनांक : 08.12.2017**

प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय की अपील सं0 229/08 अनवानी राधाकृष्ण बनाम सरकार में दिनांक 03.12.2014 को पारित निर्णय अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अति0 जिला कलक्टर न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.03.2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी. न्यायालय को इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुए यदि कोई अन्य वैधानिक बाधा न हो तथा अपीलान्ट का मामला राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 ए की परिधि में आता हो तो नियामनुसार कार्यवाही की जावे।" के साथ प्रस्तुत हुआ ।

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रश्नगत भूमि चक 1 के.आर.डब्ल्यू तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नं0 109/119 के किला नम्बर 16,24 व 25 , मु.न. 109/120 के किला नम्बर 4,5,7,8, 13,14,17,18, 22 ता 24 व मुरब्बा नम्बर 107/118 के किला नम्बर 9,10 की 4 बिस्वा कुल 15.04 बीघा नहरी भूमि 20.04.1961 को अन्नाराम आवंटित आवंटित हुई थी। उसने बिना खातेदारी अधिकार प्राप्त किये व धारा 13 राज0 उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत जिला कलक्टर महोदय की स्वीकृति लिये बिना, विवादग्रस्त आराजी का बेचान फगन सिंह वगैरा को कर दिया गया। फगन सिंह वगैरा ने विभिन्न तीन बैयनामों से वर्ष 1985 में जिला कलक्टर की अनुमति से और आगे विक्रय कर दिया। परन्तु मूल आवंटी अन्नाराम द्वारा कोई अनुमति लिए वगैर प्रथम अन्तरण दिनांक 24.06.1969 किया। इस अवैध हस्तान्तरण के फलस्वरूप भूमि बहक राज्य सरकार रिज्यूम करने के आदेश हुए। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर को होकर प्रकरण रिमाण्ड हुआ। तत्पश्चात अति0 जिला कलक्टर श्री गंगानगर द्वारा दिनांक 28.03.2008 को निर्णय पारित कर विवादित आराजी बहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील दायर हुई, जिसके निर्णय दिनांक 03.12.2014 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2008 निरस्त कर, प्रकरण रिमाण्ड कर दिया गया।

राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर से प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश की पालना में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश की पालना मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2014 से अन्तर राशि के संबंध में डी0आर0ए0 से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार केतागण द्वारा दिनांक 26.12.2014 को जरिये चालान नम्बर 4484131 द्वारा रूपये 9120/– एवं चाला नम्बर 4484039 द्वारा 36200/–रूपये की राशि जमा करवाई जा चुकी है। प्रार्थी राधाकृष्ण ने दिनांक 10.10.2017 को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जो प्रथम हस्तांतरण में पहले के खरीददार फगन सिंह वगैरा है उनकी बकाया राशि भी हम भरेगें जिस पर पुनः डीआरए से रिपोर्ट प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार केतागन द्वारा दिनांक 08.12.2017 को जरिये चालान नम्बर 19999634 द्वारा रूपये 9120/– एवं चालान नम्बर 19993282 द्वारा रूपये 40767/– राशि जमा कराई जा चुकी है। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

केतागण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 03.12.2014 की पालना में, डी0आर0ए0 द्वारा रिपोर्ट में निर्धारित की गई अंतर राशि जमा करवा दी गई है। अन्य कोई राशि बकाया नहीं है। अतः नियमन आदेश जारी किया जाना चाहिये।

राजकीय अधिवक्ता ने राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश एवं अन्तर राशि जमा कराने तथा नियमन आदेश जारी किये जाने का विरोध नहीं किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर की अपील सं0 229/2008 निर्णय दिनांक 03.12.2014 का गहनता से अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.12.2014 में आदेश पारित किया जाकर प्ररकण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(27)उप/1984 दिनांक 17.06.2014 को दृष्टिगत रखते हुए यदि कोई अन्य वैधानिक बाधा न हो तथा अपीलांट का मामला राज0 उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13–ए की परिधि में आता हो तो नियमानुसार कार्यवाही की जावें । धारा 13 –ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के प्रतिकूल हस्तान्तरण को उपरोक्त प्रावधान के तहत विधिमान्य घोषित करने का प्रावधान कर दिया गया है। विवादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण धारा 42(ए) के प्रतिकूल नहीं है। अपीलांट द्वारा शमन राशि जमा करवा दी गई है। धारा 13–ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत नियमन की कार्यवाही पूर्ण की जानी समुचित है।

राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 03.12.2014 की पालना में डी0आर0ए0 द्वारा अन्तर राशि के संबंध में प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 18.12.2014 एवं 31.10.2017 के अनुसरण में अन्तर राशि जरिये चालान जमा हो चुकी है।

अतः वाके चक 1 के.आर.डब्ल्यू तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नं0 109/119 के किला नम्बर 16,24 व 25 , मु.न. 109/120 के किला नम्बर 4,5,7,8, 13,14,17,18, 22 ता 24 व मुरब्बा नम्बर 107/118 के किला नम्बर 9,10 की 4 बिस्वा कुल 15.04 बीघा नहरी का बेचान जो जरिये बैयनामा दिनांक 24.06.1968 को जरिये बैयनामा द्वारा फगनसिंह–निरजन सिंह– बलवीर सिंह पि0 दलीपसिंह व मखन सिंह –छोटा सिंह पुत्र फगन सिंह ब.हि.बराबर कलवन्त सिंह पुत्र जरनेल सिंह जटसिख क्रय की। इस प्रथम अंतरण को भी बाद शमन शुल्क जमा बाद के अंतरण में जिला कलक्टर की अनुमति के अनुक्रम/ परिप्रेक्ष्य में नियमित किया जाता है। इस भूमि का आगे अन्तरण फगनसिंह–निरजनसिंह– बलवीरसिंह पि0 दलीपसिंह व मखन सिंह–छोटा सिंह पि0 फगनसिंह ने विभिन्न बैयनामों दिनांक 28.01.1985, 25.01.1985, 29.01.1985 के द्वारा जिला कलक्टर की अनुमति से **देवीलाल –शिशपाल उर्फ पालाराम–राधाकृष्ण पि0 सहीराम को किया गया है को, राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर, के निर्णय दिनांक 03.12.2014 की पालना में धारा 13–ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत नियमन किया जाकर विधिमान्य घोषित किया जाता है।**

तहसीलदार सादूलशहर को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश का राजस्व अभिलेखो में अंकन किया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार सादूलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 08.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/12/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलेक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर